[2021] 1 एस. सी. आर 1135

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

वी.

एम/एस नाविक प्रौद्योगिकी पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2021 की सिविल अपील संख्या 791)

02 मार्च, 2021

[इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - एस. 31 और एस. 34 - याचिका दायर करने के लिए सीमा की अवधि यू/एस। 34 – एक सेवा स्तर समझौते को अपीलार्थी-निगम द्वारा निष्पादित किया गया था

प्रत्यर्थी-कॉल सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी-समझौते ने मध्यस्थता खंड प्रदान किया-अपीलार्थी-निगम ने सेवा स्तर के समझौते को समाप्त कर दिया, जिसके कारण पक्षों के बीच विवाद हो गया-विवादों को तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा गया-मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मौखिक रूप से निर्णय सुनाया [2: 1] पर

27.04.2018 , जिसके द्वारा प्रतिवादी-कंपनी के दावे थे

अनुमति दी गई-पक्षों को सूचित किया गया कि तीसरा मध्यस्थ अधिकांश मध्यस्थों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से असहमत था, और अपनी अलग राय देगा-पुरस्कार में किसी भी गणना, लिपिक या टंकण संबंधी त्रुटियों को इंगित करने के लिए पार्टियों को मसौदा पुरस्कार की एक प्रति प्रदान की गई थी-12.05.2018 पर, असहमति वाली राय की एक प्रति तीसरे मध्यस्थ द्वारा पक्षों को प्रदान की गई थी (भले ही राय दिनांकित 27.04.2018 थी) तब मामले को 19.05.2018 पर पोस्ट किया गया था, ताकि पक्षकार तीसरे मध्यस्थ द्वारा दी गई असहमति वाली राय में किसी भी टंकण संबंधी या लिपिकीय गलतियों को इंगित कर सकें-19.05.2018 पर, हस्ताक्षरित प्रति दोनों पक्षों को मध्यस्थता पुरस्कार प्रदान किया गया था, और कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी-क्या याचिका दायर करने के लिए सीमा की अवधि यू / धारा 34 उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन 27.04.2018 दिनांकित मसौदा पुरस्कार पक्षों को वितरित किया गया था, या जिस तारीख को पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति प्रदान की गई थी अर्थात 19.05.2018-आयोजितः धारा 31 (1) न्यायाधिकरण के प्रत्येक सदस्य के लिए पुरस्कार पर हस्ताक्षर करना, इसे एक वैध पुरस्कार बनाना अनिवार्य बनाती है-इसके अलावा, निर्णय पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए सीमा की अवधि धारा 34 उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार की एक हस्ताक्षरित प्रति "प्राप्त" हुई है, जैसा कि धारा 34 द्वारा आवश्यक है। 31 (5) अधिनियम का-तत्काल मामले में, 19.05.2018 पर,

पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति और असंतुष्ट राय, मूल रिकॉर्ड के साथ, पक्षों के साथ-साथ प्रत्येक मध्यस्थ को भी सौंप दी गई थी-इसलिए, आपत्तियां दायर करने की सीमा की अवधि उस तारीख से मानी जानी चाहिए जिस दिन पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति पक्षों को उपलब्ध कराई गई थी, यानी 19.05.2018 पर।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: क्या दाखिल करने के लिए सीमा की अवधि

याचिका यू / धारा 34 उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन 27.04.2018 दिनांकित मसौदा पुरस्कार पक्षों को वितरित किया गया था, या जिस तारीख को पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति प्रदान की गई थी।

1. एकल मध्यस्थ या न्यायाधिकरण के सदस्यों द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार पर हस्ताक्षर करने की कानूनी आवश्यकता धारा में पाई जाती है। 31 1996 अधिनियम, जो एक मध्यस्थता पुरस्कार के रूप और सामग्री प्रदान करता है। [पैरा 4 (vii)] [1149-सी]

2. धारा 31 (1) को अनिवार्य शब्दों में जोड़ा गया है, और

यह प्रावधान है कि एक मध्यस्थता पुरस्कार लिखित रूप में दिया जाएगा और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण में एक से अधिक मध्यस्थ होते हैं, तो निर्णय तब दिया जाता है जब एक साथ काम करने वाले मध्यस्थ अंततः अपने निर्णय को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, और उनके हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया जाता है। एक पुरस्कार मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही कानूनी प्रभाव लेता है, जो इसे प्रमाणीकरण देता है। पुरस्कार की कोई अंतिमता नहीं हो सकती है, सिवाय इसके कि हस्ताक्षर किए जाने के बाद, क्योंकि पुरस्कार पर हस्ताक्षर करने से इसे कानूनी प्रभाव और वैधता मिलती है। पुरस्कार बनाना और देना मध्यस्थता कार्यवाही के विभिन्न चरण हैं। पुरस्कार तब दिया जाता है जब इसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाता है। कानून न्यायाधिकरण के प्रत्येक सदस्य के लिए हस्ताक्षर करना अनिवार्य बनाता है

पुरस्कार, इसे एक वैध पुरस्कार बनाने के लिए। "होगा" शब्द का उपयोग इसे एक अनिवार्य आवश्यकता बनाता है। यह केवल एक मंत्रिस्तरीय कार्य या एक खाली औपचारिकता नहीं है जिसे समाप्त किया जा सकता है।

[पैरा 4 (viii)] [1149-जी-एच; 1150-ए-सी]

3. उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 31 की उप-धारा (1) यह स्पष्ट करती है कि अधिनियम एक ही तारीख पर विचार करता है जिस पर

मध्यस्थता पुरस्कार पारित किया जाता है अर्थात जिस तारीख को हस्ताक्षर किए जाते हैं पुरस्कार की प्रति पार्टियों को दी जाती है।

धारा 31 (5) में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को आदेश दिया गया है। वी. एम/एस नाविक प्रौद्योगिकी पी. वी. टी. लिमिटेड।

पक्षकारों को मध्यस्थता पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति प्रदान करने के लिए मध्यस्थ/न्यायाधिकरण पर। हस्ताक्षरित प्रति की प्राप्ति पुरस्कार वह तिथि है जिससे यू/एस के तहत आपत्तियां दर्ज करने की सीमा अवधि होती है। 34 शुरू करेंगे। यह धारा 34 (3) की उप-धारा (3) की भाषा से स्पष्ट होगा। [पैरा 4 (ix)] [1150-D-E]

4. जिस तारीख को पक्षकारों को हस्ताक्षरित पुरस्कार प्रदान किया जाता है, वह भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण तारीख है। यह इस तारीख से है: (क) अधिनिर्णय के सुधार और व्याख्या के लिए धारा 33 के तहत आवेदन दायर करने के लिए 30 दिनों की अवधि, या अतिरिक्त अधिनिर्णय दायर किया जा सकता है; (ख) मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

जैसा कि अधिनियम की धारा 32 (1) द्वारा प्रदान किया गया है; (सी) धारा 34 के तहत पुरस्कार पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए सीमा की अवधि शुरू होती है।

[पैरा 4 (xvii)] [1153-जी; 1154-ए]

5. धारा 34 उप-धारा (2) और (3) के तहत पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन करने पर न्यायालय द्वारा पुरस्कार की न्यायिक जांच का सहारा प्रदान करती है। यू/एस के तहत पुरस्कार पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए सीमा की अवधि। 34 यह उस तारीख से शुरू होता है जिस दिन आवेदन करने वाले पक्ष को 1996 के अधिनियम की धारा 31 (5) के अनुसार मध्यस्थता पुरस्कार की एक हस्ताक्षरित प्रति "प्राप्त" हुई है। धारा 34 (3) पुरस्कार की "प्राप्ति" की तारीख से तीन महीने की एक विशिष्ट समय सीमा और तीस दिनों की एक और अवधि प्रदान करती है, यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि पक्ष को उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, लेकिन उसके बाद नहीं। [पैरा 4 (xviii)] [1154-बी-डी]

6. वर्तमान मामले के तथ्यों पर कानून को लागू करते हुए, यह न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही के अवलोकन से पाता है कि

हालाँकि पुरस्कार की घोषणा 27.04.2018 पर की गई थी, लेकिन पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति पार्टियों को केवल 19.05.2018 पर प्रदान की गई थी। न्यायाधिकरण के प्रक्रियात्मक आदेशों से पता चलता है कि 27.04.2018 पर, किसी भी गणना त्रुटि, किसी भी लिपिक या टंकण संबंधी त्रुटि, या इसी तरह की प्रकृति की किसी अन्य त्रुटि को इंगित करने के लिए पक्षकारों को पुरस्कार की केवल एक प्रति प्रदान की गई थी जो अगली तारीख को पुरस्कार में हुई हो सकती है। यह भी दर्ज किया गया था कि तीसरे मध्यस्थ ने असहमति जताई थी, और वह अपनी अलग राय देगा। 12.05.2018 पर, तीसरे मध्यस्थ ने अपनी असहमति की घोषणा की

राय दें। उस तारीख को न्यायाधिकरण ने मामले को [2021] 1 एस. सी. आर. को भेज दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19.05.2018 , पार्टियों को किसी भी टाइपोग्राफिक को इंगित करने में सक्षम बनाने के लिए

या असहमत राय में लिपिकीय गलतियाँ, और कार्यवाही का मूल रिकॉर्ड पक्षों को सौंपने के लिए। 19.05.2018 पर, मूल रिकॉर्ड के साथ पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति और असहमत राय, पक्षों के साथ-साथ प्रत्येक मध्यस्थ को भी सौंपी गई थी। न्यायाधिकरण ने कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश दिया। [पैरा 5] [1160-सी-एफ] 7. इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि आपत्तियां दायर करने के लिए सीमा की अवधि उस तारीख से मानी जानी चाहिए जिस दिन पक्षकारों को पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध कराई गई थी, यानी तत्काल मामले में आई. डी. 1 पर। [पैरा 6] [1160-जी]

भारत संघ बनाम। टेको त्रिची इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (2005) 4 एस. सी. सी. 239 [2005] 2 एस. सी. आर. 983; पी. राधा बाई बनाम। पी. अशोक कुमार (2019) 13 एससीसी 445: [2018] 12 एससीआर 143; सांगयोंग इंजीनियरिंग और निर्माण Co.Ltd।

वी. एनएचएआई (2019) 15 एससीसी 131: [2019] 7 एससीआर 522

पर भरोसा किया।

-

महाराष्ट्र राज्य बनाम। आर्क बिल्डर्स (2011) 4 एस. सी. सी. 616: [2011] 4 एससीआर 432; अनिलकुमार जिनाभाई पटेल बनाम।

एक्सियोस नेविगेशन वी. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 4; भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम। एकोम और ओआरएस। ए. आई. आर. 2009 दिल्ली 102; एक्सियन नेविगेशन बनाम। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2012) 114 (1) बॉम एल. आर. 392; ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी v. एयर इंडिया लिमिटेड (2019)

एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 11634-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 7 एससीआर 522

उस पर भरोसा करें

पैरा

3.1,4.20

उस पर भरोसा करें

पैरा 4.10 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। वी. एम/एस नौसेना प्रौद्योगिकी पी. वी. टी. लिमिटेड।

[2011] 4 एससीआर 432

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.11

[2018] 3 एससीआर 718

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.11

[2010] 8 एससीआर 1025

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.12

[2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 619 को संदर्भित किया गया

पैरा 4,18

(2019) 12 एससीसी 455

संदर्भित किया गया है

पैरा 4,18

[2018] 12 एससीआर 143

उस पर भरोसा करें

पैरा 4.19

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 791

2021 से।

उच्च न्यायालय के 11.12.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के एफ. ए. ओ. सं. 1954 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

हेमंत गुप्ता, सुश्री पायल गुप्ता, सुश्री सुनक्षी गुप्ता, तुषार

शर्मा, संजय कुमार विसेन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

जॉबी पी. वर्गीज, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था इंदू मल्होत्रा, जे.

छुट्टी दे दी गई।

1. वर्तमान दीवानी अपील के तहत दायर एक याचिका से उत्पन्न होती है

अपीलार्थी द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34

बिजली वित्रेन निगम प्रत्यर्थी के पक्ष में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण (2:1) द्वारा पारित दिनांकित मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देगा

कंपनी।

2. हमारे विचार के लिए जो मुद्दा उठा है वह यह है कि क्या

धारा 34 के तहत याचिका दायर करने के लिए सीमा की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन पक्षकारों को दिनांक 1 का मसौदा पुरस्कार वितरित किया गया था, या उस तारीख से जिस दिन पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति प्रदान की गई थी।

पृष्ठभूमि के तथ्य सेवा स्तर से निकलते हैं।

((i)

समझौते का खंड 13 समाधान के लिए प्रदान किया गया तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से विवाद,

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खंड 13 इस प्रकार है:

" 13. मध्यस्थता सभी विषय प्रश्न, विवाद, मतभेद और/या अनुबंध से उत्पन्न होने वाले और/या संबंधित और/या संबंध में और/या परिणामों में या अनुबंध से संबंधित दावे, चाहे अनुबंध के तहत दोनों पक्षों में से किसी एक या दोनों पक्षों के दायित्व ऐसे विवाद के समय मौजूद हों या नहीं और क्या अनुबंध समाप्त कर दिया गया है या समाप्त करने के लिए कथित या पूरा नहीं किया गया है, मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा जो तीन मध्यस्थों द्वारा संचालित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक को सेवा प्रदाता और निगम (मध्यस्थ जिसे एम. डी. डी. एच. बी. वी. एन. एल. या निगम के प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा) द्वारा नामित किया जाएगा और तीसरा जिसे इंजीनियर संस्थान, भारत के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। यदि कोई भी पक्ष मध्यस्थता खंड का आह्वान करने वाले दूसरे पक्ष से नोटिस प्राप्त होने के तीस (30) दिनों के भीतर अपना मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है, तो इंजीनियर संस्थान, भारत के अध्यक्ष के पास किसी भी पक्ष के अनुरोध पर मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति होगी। इंजीनियरों के संस्थान (भारत) के आदेश का एक प्रमाणित

इस तरह की नियुक्ति की प्रतिलिपि प्रत्येक पक्ष को दी जाएगी।

अधिकांश मध्यस्थों का निर्णय अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। अनुबंध के पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि मध्यस्थता की लागत मध्यस्थता न्यायाधिकरण की नियुक्ति की तारीख को निगम को जारी/प्रचलित निर्देशों के अनुसार होगी।

मध्यस्थ। मध्यस्थ के पास अनुबंध के अनुरूप इंजीनियर के किसी भी निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाणन या मूल्यांकन की समीक्षा करने और/या संशोधन करने की पूरी शक्तियां होंगी, और कोई भी पक्ष ऐसे मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाही में साक्षय या संशोधन तक सीमित नहीं होगा।

उक्त निर्णय प्राप्त करने के उद्देश्य से इंजीनियर के समक्ष तर्क रखे जाते हैं।

.....

उपरोक्त प्रावधानों के लिए अधिनियम, के प्रावधानराशन और सुलह अधिनियम, 1996 और इसके तहत नियम

तत्काल लागू किए जा रहे उसके सांविधिक संशोधन,

ई के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू माना जाएगा।

16.10.2014 पर, अपीलकर्ता निगम ने सेवा स्तर के समझौते को समाप्त कर दिया, जिसके कारण पक्षों के बीच विवाद पैदा हो गए। तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण द्वारा विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने मौखिक रूप से निर्णय सुनाया [2: 1] 27.04.2018 पर, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी कंपनी के दावों की अनुमति दी गई थी। पक्षों को सूचित किया गया कि तीसरा

मध्यस्थ अधिकांश मध्यस्थों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से असहमत था, और अपनी अलग राय देगा। सुनवाई की अगली तारीख को पुरस्कार में किसी भी गणना, लिपिक या टंकण संबंधी त्रुटियों को इंगित करने के लिए पक्षकारों को मसौदा पुरस्कार की एक प्रति प्रदान की गई थी।

निम्नानुसार: " 27.04.2018

वर्तमान:

एस. निशांत श्रीवास्तव, दावेदार के वकील

एस. अंकुर भाटिया, दावेदार के एम. डी.

एस. आशीष गोयल, अधिवक्ता और श्री. संजीव शर्मा, प्रतिवादी के लिए जे. ई.।

आज दिनांकित अलग से अभिलिखित पुरस्कार के माध्यम से, दावेदार के दावों को लागत के साथ अनुमति दी गई है। डॉ. शिवा शर्मा इस बात से सहमत हैं, जबकि श्री. डी. एस. यादव असहमत हैं। वह अपना अलग पुरस्कार दाखिल करेगा। पुरस्कार की प्रतियां दोनों एल. डी. को निःशुल्क प्रदान की गई हैं। पक्षों के लिए सलाहकार। ऊपर आने के लिए

12.05.2017 , 4 बजे: 30 श्री के पुरस्कार के लिए पी. एम. डी. एस. यादव, मध्यस्थ। उस तारीख को, पक्षों को किसी भी गणना त्रुटि, किसी भी लिपिक या टंकण संबंधी त्रुटि या पुरस्कार में हुई समान प्रकृति की कोई अन्य त्रुटि दिखाने की भी आवश्यकता होती है।

यदि कोई हो।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

विनोद जैन, डी एंड एस न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) पीठासीन मध्यस्थ

एस. शिवा शर्मा, डी एंड एस न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)

Sh.D.S. यादव, निदेशक, डीएचबीवीएन (सेवानिवृत्त) "

(जोर दिया गया)

इसके बाद मामले को 12.05.2018 पर पोस्ट किया गया।

12.05.2018 पर, असहमत राय की एक प्रति थी

तीसरे मध्यस्थ द्वारा पक्षों को प्रदान किया गया (भले ही

राय दिनांकित थी 27.04.2018)। मामला तब का था।

19.05.2018 पर पोस्ट किया गया, ताकि पक्ष कोई संकेत दे सकें

असहमत राय में टाइपोग्राफिक या लिपिकीय गलतियाँ तीसरे मध्यस्थ द्वारा दिया गया।

दिनांकित 12.05.2018 आदेश इस प्रकार है:

" 12.05.2018

वर्तमान:

एस. निशांत श्रीवास्तव, दावेदार के वकील

एस. संजीव शर्मा, प्रतिवादी के लिए जे. ई.।

मध्यस्थ Sh.D.S. यादव ने अपनी असहमति दर्ज कराई है।

पुरस्कार.

दोनों को मुफ्त प्रतियां प्रदान की गई हैं।

इन मध्यस्थता कार्यवाही के पक्षकार। दोनों ने

दलों ने किसी भी गणना या लिपिक की ओर इशारा नहीं किया है

दिनांकित 27.04.2018 पुरस्कार में त्रुटि आदि।

यदि कोई टाइपोग्राफिक या लिपिकीय गलतियाँ हैं तो उन्हें इंगित करें। श्री द्वारा दिया गया आज का पुरस्कार। डी. एस. यादव, मध्यस्थ।

वही स्थान बनाएँ। साथ ही उस तारीख को मूल अभिलेख होना चाहिए।

एल. डी. को सौंपा जाए। दावेदार के लिए वकील

रिकॉर्ड के पेन ड्राइव के साथ दूसरे को सुरक्षित अभिरक्षा

पार्टी के साथ-साथ मध्यस्थों के लिए भी "।

(जोर दिया गया)

पुरस्कार में टंकण संबंधी गलतियाँ, या असहमतिपूर्ण राय। इस तारीख को मध्यस्थता पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति शिन हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड थी।

वी. एम/एसएनटी टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

दोनों पक्षों को प्रदान किया गया, और कार्यवाही समाप्त कर दी गई। 19.05.2018 की कार्यवाही इस प्रकार है:

" 19.05.2018

वर्तमान:

एस. निशांत श्रीवास्तव, दावेदार के वकील एस . आशीष गोयल, श्री के साथ अधिवक्ता। संजीव शर्मा,

प्रतिवादी के लिए जे. ई.।

मूल अभिलेख श्री को सौंप दिया गया है। निशांत

श्रीवास्तव, उनके साथ सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अधिवक्ता और

वकीलों के साथ-साथ मध्यस्थों के लिए भी। रिकॉर्ड है यह दो फाइलों से बना है। अभिवचनों की पहली फाइल शामिल है

270 पृष्ठों की और पुरस्कारों की दूसरी फाइल, साक्षय, ज़िमिनी

आदेश और गलतियाँ। शोध-पत्र 596 पृष्ठों के हैं।

पुरस्कार (हस्ताक्षरित प्रतियां) भी प्रदान किए गए हैं। एल. डी. दोनों पक्षों के लिए नि:शुल्क परामर्श।

दोनों पक्षों ने भी कोई आवेदन दायर नहीं किया

पुरस्कारों में किसी भी लिपिक या टंकण संबंधी गलतियों को बाहर निकालें।

कार्यवाही अब समाप्त हो गई है, इसलिए इसके द्वारा

समाप्त हो गया "।

(जोर दिया गया)

अपीलार्थी-निगम ने एल. डी. के समक्ष 10.09.2018 पर धारा 34 के तहत अपनी आपत्तियाँ दायर कीं। सिविल कोर्ट, हिसार, हरियाणा ने विलंब की माफी के लिए एक आवेदन के साथ दिनांकित 27.04.2018 के पुरस्कार को चुनौती देने के लिए मध्यस्थता याचिका संख्या 316/2018 का उपयोग किया।

अपीलार्थी निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि धारा 34 (3) द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर यानी 12.05.2018 पर हस्ताक्षरित पुरस्कार की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने और 30 दिनों के भीतर आपत्तियां दायर की गईं।

दीवानी अदालत ने दिनांक 14.02.2019 के आदेश के माध्यम से देरी की माफी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी को 27.04.2018 पर बहुमत पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस प्रकार, सीमा की अवधि उसी [2021] 1 एस. सी. आर. से शुरू होती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तिथि. तदनुसार, तीन महीने की सीमा की अवधि 27.04.2018 यानी उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन अपीलार्थी अपील करता है।

मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त किया। धारा 34 (3) के परंतुक में प्रावधान है कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदक को 3 महीने के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह 30 दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है। वर्तमान मामले में, आवेदन यू/एस। 34 आगे की अवधि समाप्त होने के बाद भी दाखिल किया गया था

30 दिनों का। केवल इसलिए कि असहमत राय थी अल्पसंख्यक मध्यस्थ द्वारा गलती से एक पुरस्कार के रूप में शैलीबद्ध, यह नहीं कहा जा सकता है कि असहमत राय एक पुरस्कार का दर्जा प्राप्त करती है। नतीजतन, आपत्तियों को खारिज कर दिया गया

केवल देरी के आधार पर।

(viii) अपीलार्थी निगम ने अपील सं. 1954/2019 दायर की।

(ओ एंड एम) उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत।

उच्च न्यायालय ने दिनांकित 11.12.2019 के विवादित आदेश के माध्यम से दीवानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 31 का पठन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक बार

पुरस्कार पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और अधिकांश द्वारा संप्रेषित किया जाता है

मध्यस्थ, वही एक "पुरस्कार" का गठन करेंगे। बहुमत पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति यानी दो लोगों द्वारा हस्ताक्षरित

27.04.2018 और u/S पर तीन मध्यस्थ प्राप्त हुए। 34 (3) , आपत्तियाँ 3 महीने के भीतर दायर की जानी थीं, जो

27.07.2018 पर समाप्त हो जाता है। भले ही अपीलार्थियों को 30 दिनों का लाभ दिया गया हो, आपत्तियां 26.08.2018 द्वारा दायर की जानी चाहिए थीं, जबकि आपत्तियां 10.09.2018 पर दायर की गई थीं। फैसले में कोई कमजोरी नहीं थी।

दीवानी न्यायालय की, और तदनुसार, अपील थी

बर्खास्त कर दिया।

(ix) देरी के आधार पर धारा 34 के तहत आपत्तियों की अस्वीकृति से पीड़ित, अपीलार्थी निगम ने वर्तमान अपील दायर की है।

3. पक्षों की दलीलें (i) अपीलार्थी निगम ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि उसकी आपत्तियों को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा केवल सीमा के आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था, न कि गुण-दोष के आधार पर।

यह प्रस्तुत किया गया था कि संदर्भ शिन हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। वी. एम/एसएनटी टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

मध्यस्थता अधिनियम में 'मध्यस्थता पुरस्कार' में दोनों शामिल हैं

बहुमत पुरस्कार के साथ-साथ अल्पसंख्यक राय भी।

अधिनियम की धारा 31 (1) में प्रावधान है कि न्यायाधिकरण के सभी सदस्य पुरस्कार पर हस्ताक्षर करेंगे। धारा 31 (2) जो किसी अधिनिर्णय को तब तक देने की अनुमति देती है जब तक कि उस पर अधिकांश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और तीसरे मध्यस्थ के हस्ताक्षर को छोड़ने के कारणों का उल्लेख किया जाता है, केवल सर्वसम्मत अधिनिर्णय के मामले में लागू होती है। धारा 31 (2) का कोई अनुप्रयोग नहीं है। जब उनमें से किसी एक द्वारा असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है

मध्यस्थ।

अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत पुरस्कार, केवल बहुमत पुरस्कार से संबंधित नहीं है, बल्कि मध्यस्थता पुरस्कार से संबंधित है, जिसमें न्यायाधिकरण के असहमत सदस्य की राय शामिल है। यह तर्क दिया गया था कि यदि बहुमत पुरस्कार लिया गया था

माध्यस्थम पुरस्कार का अर्थ है, की असहमत राय

अल्पसंख्यकों की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। इस तरह का दृष्टिकोण पुरस्कार देनदार के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि भले ही बहुमत का निर्णय 27.04.2018 पर घोषित किया गया था, न्यायाधिकरण ने मामले को 12.05.2018 पर पोस्ट किया ताकि पक्षकार किसी भी सुधार, या किसी भी टाइपोग्राफिक या लिपिकीय त्रुटि को इंगित कर सकें।

पुरस्कार। 12.05.2018 पर, असहमत राय थी

घोषित किया गया, और पक्षों को एक प्रति प्रदान की गई। द.

किसी भी बात पर विचार करने के लिए मामले को 19.05.2018 पर पोस्ट किया गया था।

अल्पमत की राय में सुधार के लिए आवेदन। चूंकि पक्षकारों द्वारा निर्णय में सुधार के लिए कोई आवेदन या अल्पमत राय दायर नहीं की गई थी, इसलिए न्यायाधिकरण ने निर्णय को समाप्त कर दिया।

कार्यवाही। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न मामलों में अदालतों द्वारा असहमत राय को सही दृष्टिकोण माना गया है।

रिलायंस को इस अदालत के फैसले पर रखा गया था

सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वी.

एनएचएआई।, ' जिसमें असंतुष्ट राय को बरकरार रखा गया था सही दृष्टिकोण, और पुष्टि की गई। संदर्भ दिया गया था

सीसी 131।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

एक्सियोस में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर

नौवहन वी. भारतीय तेल निगम, 2 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अल्पमत का दृष्टिकोण अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियों के निर्णय के लिए प्रासंगिक था।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि अपीलार्थी निगम द्वारा धारा के तहत दायर आपत्तियां

34 मध्यस्थता अधिनियम की धाराएं सीमा द्वारा वर्जित हैं, और उन्हें इस रूप में खारिज किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी का तर्क

यह है कि चूंकि बहुमत पुरस्कार घोषित किया गया था

27.04.2018 , धारा के तहत लागू सीमा अवधि

34 (3) यह इस तारीख से शुरू होगा।

प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा 34 (3) पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा व्यक्त किया कि एक पक्ष पुरस्कार की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आपत्ति दर्ज कर सकता है।

पुरस्कार। पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर

न्यायालय की संतुष्टि, तीन महीने की अवधि हो सकती है

तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया गया। द. प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि आपत्तियां दर्ज करने का समय 26.07.2018 तक उपलब्ध था, या यदि पर्याप्त कारण बताया गया था, तो 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि जो समाप्त हो गई थी।

26.08.2018 .

अल्पसंख्यक सदस्य की असहमतिपूर्ण राय सीमा अवधि की गणना के उद्देश्यों के लिए एक पुरस्कार नहीं था।

अधिनियम की धारा 29 (1) में विचार किया गया है कि न्यायाधिकरण के अधिकांश सदस्यों का निर्णय मध्यस्थता पुरस्कार है। अधिनियम की धारा 31 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि न्यायाधिकरण के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं थी, जब तक कि पुरस्कार पर सदस्यों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और तीसरे मध्यस्थ के हस्ताक्षर को छोड़ने के कारण पुरस्कार में दर्ज किए गए थे। अल्पसंख्यकों की राय केवल एक दृष्टिकोण था, और इसे एक पुरस्कार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता था। इसे गणना सीमा के उद्देश्य से मध्यस्थता पुरस्कार नहीं माना जा सकता था।

अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत।

एनलाइन बम 4.

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। वी. एम/एस विजेंट टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

दिल्ली के फैसलों पर भरोसा रखा गया था और भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम में बॉम्बे उच्च न्यायालय।

एकोम और Ors.³, एक्सियन नेविगेशन v. इंडियन ऑयल

निगम लिमिटेड, 4 और ओरिएंटल बीमा कंपनी v. हवा।

इंडिया लिमिटेड, 5 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत सीमा अवधि निम्नलिखित से शुरू होगी -

तारीख जब पुरस्कार पारित किया जाता है।

4. चर्चा और विश्लेषण हमने एल. डी. सुना है। पक्षों के लिए परामर्श। इसके लिए

पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हम पहले मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की जांच करेंगे।

((i)

1996 के अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) "मध्यस्थता पुरस्कार" को परिभाषित करती है -

एक अंतरिम पुरस्कार शामिल करें। 1996 के अधिनियम के कई प्रावधानों में "मध्यस्थता पुरस्कार" वाक्यांश का उपयोग किया गया है।

कानून एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले केवल एक मध्यस्थ पुरस्कार को मान्यता देता है, जो या तो एक सर्वसम्मत पुरस्कार हो सकता है, या सदस्यों के पैनल के मामले में बहुमत से पारित पुरस्कार हो सकता है। एक पुरस्कार निर्णय के लिए निर्दिष्ट सभी मुद्दों पर मध्यस्थ द्वारा किया गया एक बाध्यकारी निर्णय है। पुरस्कार में अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध से उत्पन्न पक्षों के अधिकारों और दायित्वों के निर्णय पर न्यायाधिकरण द्वारा सौंपे गए कारण शामिल हैं। पुरस्कार वह होना चाहिए जो संदर्भित सभी मुद्दों को तय करता है।

मध्यस्थता। एक असहमत मध्यस्थ का दृष्टिकोण एक नहीं है पुरस्कार, लेकिन उनकी राय। हालांकि, एक पक्ष से नाराज

पुरस्कार, तर्क और निष्कर्षों से समर्थन प्राप्त कर सकता है

असहमत राय में सौंपा गया।

((ख)

'मध्यस्थता न्यायाधिकरण' वाक्यांश को धारा द्वारा परिभाषित किया गया है।

2 (1) (घ) एकमात्र मध्यस्थ, या मध्यस्थों का एक पैनल।

(iii)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अध्याय VI में प्रावधान है

मध्यस्थता पुरस्कार देने की प्रक्रिया, और

मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति।

धारा 28 से 31 बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है

पुरस्कार। धारा 28 के लिए लागू नियम प्रदान करता है मध्यस्थता द्वारा विवाद का निर्धारण।

009 दिल्ली 102.

) 114 (1) बम एलआर 392।

) एससीसी ऑनलाइन डेल 11634।

(iv) 1996 के अधिनियम की धारा 29 एक व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने से संबंधित है।

मध्यस्थों का पैनल। धारा 29 इस प्रकार है:

" 29. मध्यस्थों के एक पैनल द्वारा निर्णय लेना।

(1) जब तक कि पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता में सहमति न हो

एक से अधिक मध्यस्थों के साथ कार्यवाही, कोई भी निर्णय

मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन सभी के बहुमत से किया जाएगा।

उनके सदस्य।

(2) उप-धारा (1) के बावजूद, यदि इसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो

पक्षकार या मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सभी सदस्य, प्रक्रिया के प्रश्नों का निर्णय पीठासीन द्वारा किया जा सकता है

मध्यस्थ "।

(जोर दिया गया)

उप-धारा (1) में प्रावधान है कि जब तक पक्ष सहमत न हों

अन्यथा, एक से अधिक मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ, "मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय लिया जाएगा।

इसके सभी सदस्यों के बहुमत से "।

एक "मध्यस्थ पुरस्कार" बहुमत द्वारा किया गया निर्णय है।

एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्य, जो अंतिम और बाध्यकारी है पार्टियों में।

धारा 35 में प्रावधान है कि एक मध्यस्थ पुरस्कार "अंतिम" होगा।

और पक्षकारों और उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी।

एक असहमत राय अधिकारों या देनदारियों को निर्धारित नहीं करती है। पक्षकार जो धारा 36 के अधीन प्रवर्तनीय हैं

अधिनियम।

(v)

अनुभागों में "मध्यस्थता पुरस्कार" वाक्यांश का संदर्भ 34 और 36 बहुमत के निर्णय को संदर्भित करता है

मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सदस्य। एक पक्ष याचिका दायर नहीं कर सकता है। यू/एस। 34 अलग रखने के लिए, या यू/एस। 36 ए को लागू करने के लिए

असहमतिपूर्ण राय। यू/एस को अलग रखने में क्या सक्षम है।

34 "मध्यस्थता पुरस्कार" अर्थात द्वारा लिया गया निर्णय है न्यायाधिकरण के अधिकांश सदस्य। इसी तरह, यू/एस। 36 क्या?

द्वारा पारित "मध्यस्थता पुरस्कार" को लागू किया जा सकता है

सदस्यों का बहुमत।

(vi) धारा 29 ए को 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।

उप-धारा (1) के तहत, मध्यस्थ न्यायाधिकरण [एक में के अलावा अन्य] अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता] को कानून शिन हरियाणा बिजली वितरन निगम लिमिटेड द्वारा अनिवार्य किया गया है।

वी. एम/एसएनटी टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

अभिवचन पूरा होने की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर मध्यस्थता पुरस्कार देने के लिए, जैसा कि प्रदान किया गया है

धारा 23 की उप-धारा (4)। धारा 29ए (4) में प्रावधान है कि यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि या उप-धारा (3) के तहत विस्तारित अवधि के भीतर पुरस्कार नहीं दिया जाता है तो मध्यस्थ का "अधिदेश" समाप्त हो जाएगा। इसलिए, कानून के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा, मध्यस्थों का आदेश होगा

यदि समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है तो इसे समाप्त कर दें। पुरस्कार पर हस्ताक्षर करने की कानूनी आवश्यकता

एकमात्र मध्यस्थ या न्यायाधिकरण के सदस्यों द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार पर हस्ताक्षर करने की कानूनी आवश्यकता 1996 के अधिनियम की धारा 31 में पाई जाती है, जो मध्यस्थता पुरस्कार के रूप और सामग्री प्रदान करती है। धारा 31 में प्रावधान है कि:

" 31. मध्यस्थता पुरस्कार का प्रपत्र और विषय-वस्तु। - (1) एक मध्यस्थ पुरस्कार लिखित रूप में दिया जाएगा और इसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्य।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, मध्यस्थता में

एक से अधिक मध्यस्थों के साथ कार्यवाही, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सभी सदस्यों के बहुमत के हस्ताक्षर तब तक पर्याप्त होंगे जब तक कि किसी भी छोड़े गए हस्ताक्षर का कारण बताया गया हो।

... .

(4) माध्यस्थम अधिनिर्णय में धारा 20 के अनुसार निर्धारित की गई अपनी तिथि और मध्यस्थता का स्थान बताया जाएगा और यह माना जाएगा कि अधिनिर्णय निम्नानुसार किया गया था -

उस जगह।

(5) मध्यस्थता पुरस्कार दिए जाने के बाद, एक हस्ताक्षरित प्रति

प्रत्येक पक्ष को वितरित किया जाए।

(जोर दिया गया)

धारा 31 (1) को अनिवार्य शब्दों में जोड़ा गया है, और यह प्रदान करता है

कि एक मध्यस्थता पुरस्कार लिखित रूप में दिया जाएगा और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण में एक से अधिक मध्यस्थ होते हैं, तो

निर्णय तब दिया जाता है जब मध्यस्थ एक साथ काम करते हुए अंततः [2021] 1 एस. सी. आर.
व्यक्त करते हैं।

उनका निर्णय लिखित रूप में लिया जाता है और उनके हस्ताक्षरों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। एक पुरस्कार मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही कानूनी प्रभाव लेता है, जो इसे प्रमाणीकरण देता है। पुरस्कार की कोई अंतिमता नहीं हो सकती है, सिवाय इसके कि हस्ताक्षर किए जाने के बाद, क्योंकि पुरस्कार पर हस्ताक्षर करने से इसे कानूनी प्रभाव और वैधता मिलती है। पुरस्कार बनाना और देना मध्यस्थता कार्यवाही के विभिन्न चरण हैं। पुरस्कार तब दिया जाता है जब इसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

कानून न्यायाधिकरण के प्रत्येक सदस्य के लिए पुरस्कार पर हस्ताक्षर करना, इसे एक वैध पुरस्कार बनाना अनिवार्य बनाता है। "होगा" शब्द का उपयोग इसे एक अनिवार्य आवश्यकता बनाता है। यह केवल एक मंत्रिस्तरीय कार्य या एक खाली औपचारिकता नहीं है जिसे समाप्त किया जा सकता है।

उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 31 की उप-धारा (1) यह स्पष्ट करती है कि अधिनियम में एक ही तिथि पर विचार किया गया है -

जिसे मध्यस्थ पुरस्कार पारित किया जाता है अर्थात वह तिथि जिस पर पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति पक्षों को दी जाती है। धारा 31 (5) मध्यस्थ/न्यायाधिकरण को पक्षकारों को मध्यस्थता पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति प्रदान करने का आदेश देती है। द.

पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति की प्राप्ति वह तिथि है जिस दिन से आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए सीमा की अवधि। 34 शुरू करेंगे। यह धारा 34 (3) की उप-धारा (3) की भाषा से स्पष्ट होगा जिसमें लिखा है:

" 34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन।

:

(3) उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद अलग रखने के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।

उस आवेदन को करने वाले पक्ष को प्राप्त हुआ था

मध्यस्थता पुरस्कार या, यदि इसके तहत अनुरोध किया गया था

धारा 33, उस तारीख से जिस दिन उस अनुरोध को किया गया था मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निपटा दिया गया:

बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि आवेदक

बनाने से पर्याप्त कारण से रोका गया था

मध्यस्थता के कानून पर टिप्पणी, वोल्टर्स क्लूवर, चौथा संस्करण।

, Vol.1, शिन हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। वी. एम/एसएनटी टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

तीस की एक और अवधि के भीतर आवेदन पर विचार करें कुछ दिन, लेकिन उसके बाद नहीं। "

भारत संघ में v. टेको त्रिची इंजीनियर्स एंड

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि

आवेदन यू/एस दाखिल करने के लिए सीमा की अवधि। 34 होगा।

पुरस्कार की वैध डिलीवरी के बाद ही शुरू करें

यू/एस रखें। 31 (5) अधिनियम से। पैरा 8 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" 8. उप-धारा के तहत मध्यस्थता पुरस्कार का वितरण (5) धारा 31 केवल औपचारिकता का विषय नहीं है। यह है।

पदार्थ की बात। यह केवल नीचे के चरण के बाद है

धारा 31 पारित कर चुकी है कि समाप्ति का चरण

की धारा 32 के अर्थ के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही

अधिनियम बनता है। मध्यस्थता पुरस्कार का वितरण पार्टी को प्रभावी होने के लिए पार्टी द्वारा 'प्राप्त' किया जाना चाहिए।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा यह वितरण और द्वारा रसीद

पुरस्कार की पार्टी ने कई अवधियों में काम शुरू किया

सुधार के लिए आवेदन जैसी सीमाएँ और धारा के तहत 30 दिनों के भीतर किसी पुरस्कार की व्याख्या

33 (1) , अतिरिक्त पुरस्कार देने के लिए आवेदन

धारा 33 (4) के तहत और अलग रखने के लिए एक आवेदन

धारा 34 (3) आदि के तहत एक पुरस्कार। इस डिलीवरी के रूप में पुरस्कार की प्रति का कुछ प्रदान करने का प्रभाव पड़ता है

पार्टी पर अधिकार के साथ-साथ अधिकार को समाप्त करने के लिए

निर्धारित अवधि की समाप्ति पर उन अधिकारों का प्रयोग करें।

सीमा की जिसकी गणना उस तारीख से की जाएगी,

न्यायाधिकरण द्वारा पुरस्कार की प्रति का वितरण और

प्रत्येक पक्ष द्वारा इसकी रसीद महत्वपूर्ण है।

मध्यस्थता कार्यवाही में चरण।"

(जोर दिया गया)

टेको त्रिची इंजीनियर्स (ऊपर) में निर्णय था

इसके बाद महाराष्ट्र राज्य बनाम। सन्दूक निर्माता,

जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 31 (1) बाध्य करती है -

मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सदस्य लिखित रूप में निर्णय देंगे और उस पर हस्ताक्षर करें। की उप-धारा (5) के तहत कानूनी आवश्यकता

सी 239।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 31 मध्यस्थ न्यायाधिकरण/मध्यस्थ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पुरस्कार की एक प्रति का वितरण है, न कि पुरस्कार की कोई प्रति। धारा 34 (3) के साथ पठित धारा 31 (5) के सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर, आपत्तियां दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि केवल उस तारीख से शुरू होगी जब पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन करने वाले पक्ष को दी जाएगी।

यदि कानून निर्धारित करता है कि पुरस्कार की एक प्रति होनी है

एक विशेष तरीके से संबंधित पक्षों को सूचित किया गया, वितरित किया गया, भेजा गया, अग्रेषित किया गया, प्रस्तुत किया गया या भेजा गया, और चूंकि कानून पीड़ित पक्ष द्वारा विचाराधीन पुरस्कार को चुनौती देने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करता है, तो सीमा की अवधि केवल उस तारीख से शुरू हो सकती है जिस दिन संबंधित पक्ष द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया था।

कानून द्वारा निर्धारित।

टेको त्रिची के फैसले का हाल ही में पालन किया गया है।

अनिलकुमार जिनाभाई पटेल बनाम। प्रवीणचंद्र जिनाभाई पटेल। 9.

(xii) हिमाचल प्रदेश बनाम हिमाचल टेक्नो

इंजीनियरों, 1 0 10 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि मध्यस्थता के पक्षकारों में से एक सरकार या एक वैधानिक निकाय है, जो अधिसूचित अवकाश, और यदि पुरस्कार किसी बेलदार या चौकीदार को किसी अवकाश या गैर-कार्य दिवस पर दिया गया था, तो इसे अधिनियम की धारा 31 (5) के प्रयोजनों के लिए संबंधित पक्ष द्वारा "पुरस्कार की प्राप्ति" नहीं माना जा सकता है। जब पुरस्कार वितरित किया जाता है, या जमा किया जाता है, या किसी गैर-कार्य दिवस पर किसी पक्ष के कार्यालय में छोड़ दिया जाता है, तो भौतिक प्रसव की तारीख उस पक्ष द्वारा पुरस्कार की "प्राप्ति" की तारीख नहीं होती है। धारा 31 (5) के प्रयोजनों के लिए, प्राप्ति की तिथि अगले कार्य दिवस पर होनी चाहिए।

(xiii) धारा 32 में यह प्रावधान है कि मध्यस्थता कार्यवाही

अंतिम पुरस्कार पारित होने के बाद समाप्त कर दिया जाता है। के साथ मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति, मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अधिदेश समाप्त हो जाता है, और न्यायाधिकरण कार्यात्मक हो जाता है

अधिकारी।

:) 15 एससीसी 178

0) 12 एस. सी. सी. 210 शिन हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। वी. एम/एसएनटी टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण में जिसमें तीन लोगों का एक पैनल होता है

इसे उसी तारीख को समकालीन रूप से वितरित किया जाना चाहिए। अंतिम पुरस्कार के रूप में, और बाद की तारीख को नहीं,

न्यायाधिकरण के पारित होने पर कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है

अंतिम पुरस्कार। पुरस्कार प्रदान करने की अवधि और

अधिनियम की धारा 29 ए। 'अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता' पर ग्रंथ में

फौचार्ड, गेलार्ड, गोल्डमैन द्वारा लिखित, यह राय दी गई है

कि -

" 1403. - असहमति की राय केवल तभी जारी की जा सकती है जब बहुमत ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि

पुरस्कार का गठन करता है। तब तक जारी किया गया कोई भी दस्तावेज

अल्पसंख्यक मध्यस्थ द्वारा केवल भाग के रूप में माना जा सकता है विचार-विमर्श। हालांकि, एक बार बहुमत ने फैसला ले लिया

पहुँच गया है, यह लेखक के लिए बेहतर है एक मसौदे को दूसरे तक पहुँचाने के लिए असहमति की राय

मध्यस्थ ताकि वे तर्कों पर चर्चा कर सकें

इसे आगे बढ़ाएँ। बहुमत द्वारा दिया गया पुरस्कार हो सकता है फिर असहमत राय के बाद जारी किया जाए, या कम से कम,

असहमत राय के मसौदे के बाद "।

11

कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल एक तारीख है अर्थात उस तारीख को

जिसे अंतिम पुरस्कार की एक हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त होती है

पक्षकार, जिनसे आपत्तियाँ दायर करने के लिए सीमा की अवधि टिक टिक करना शुरू कर देंगे। पुरस्कार में कोई अंतिमता नहीं हो सकती है,

सिवाय इसके कि हस्ताक्षर किए जाने के बाद, क्योंकि पुरस्कार पर हस्ताक्षर करने से

पुरस्कार के लिए कानूनी प्रभाव और अंतिमता।

जिस तारीख को पक्षों को हस्ताक्षरित पुरस्कार प्रदान किया जाता है

भारतीय के तहत मध्यस्थता कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण तिथि है

धारा 33 पुरस्कार के सुधार और व्याख्या के लिए, या अतिरिक्त पुरस्कार दायर किया जा सकता है; (बी) मध्यस्थता कार्यवाही

अधिनियम की धारा 32 (1) द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान के अनुसार समाप्त हो जाएगा;

एलार्ड, गोल्डमैन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, एड। इम्मानुएल

सैवेज, p.786 (क्लूवर लॉ इंटरनेशनल)।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

(ग) धारा 34 के तहत पुरस्कार पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए सीमा की अवधि शुरू होती है।

) धारा 34 न्यायिक जांच के लिए सहारा प्रदान करती है

न्यायालय द्वारा पुरस्कार, उप के तहत एक आवेदन करने पर

पुरस्कार को अलग रखने के लिए धारा (2) और (3)।

पुरस्कार पर आपत्तियाँ दायर करने की सीमा की अवधि

यू/एस। 34 पार्टी शुरू होने की तारीख से आवेदन करने वाले को 1996 की धारा 31 (5) के अनुसार मध्यस्थता पुरस्कार की एक हस्ताक्षरित प्रति "प्राप्त" हुई है।

एक्ट करें।

धारा 34 (3) पुरस्कार की "प्राप्ति" की तारीख से तीन महीने की एक विशिष्ट समय सीमा प्रदान करती है, और तीस दिनों की एक और अवधि प्रदान करती है, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि पक्षकार

आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया उक्त अवधि के भीतर, लेकिन उसके बाद नहीं।

भारत संघ में v. लोकप्रिय निर्माण, 1 2 यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 ऐसा नहीं करेगी

मध्यस्थता की धारा 34 के तहत दायर आवेदनों पर आवेदन करें

एक्ट करें। यह माना गया था कि:

“ 12. जहाँ तक 1996 की धारा 34 की भाषा का संबंध है।

अधिनियम का संबंध है, महत्वपूर्ण शब्द हैं "लेकिन नहीं।

इसके बाद "उप-धारा (3) के परंतुक में प्रयुक्त किया गया। हमारी राय में, यह वाक्यांश सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के अर्थ के भीतर एक स्पष्ट बहिष्करण के बराबर होगा, और इसलिए उस अधिनियम की धारा 5 के अनुप्रयोग पर रोक लगाएगा। संसद को और आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह अभिनिर्धारित करना कि न्यायालय निर्धारित करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकता है

परंतुक के तहत विस्तारित अवधि से परे पुरस्कार को अलग करने से वाक्यांश "लेकिन उसके बाद नहीं" पूरी तरह से अनुचित हो जाएगा। व्याख्या का कोई भी सिद्धांत उचित नहीं होगा।

ऐसा परिणाम "।

सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर में v. भारत संघ, 1 3 यह न्यायालय अभिनिर्धारित किया कि वाक्यांश "लेकिन उसके बाद नहीं" के तहत प्रदान किया गया है

अधिनियम की धारा 34 (3) यह स्पष्ट करती है कि अलग रखने के लिए आवेदन दायर करने के लिए सीमा की वैधानिक अवधि

सी 470।

सी. सी. 455 शिन हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। वी. एम/एसएनटी टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

तीन महीने है, जिसे तीस दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, यदि

पर्याप्त कारण बनाया गया है। धारा 34 के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए आगे कोई समय नहीं दिया जा सकता है।

यदि धारा 34 द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आपत्तियां दायर नहीं की जाती हैं, तो पुरस्कार धारक याचिका दायर करने का हकदार है। एक मानित डिक्री के रूप में मध्यस्थता पुरस्कार का प्रवर्तन

न्यायालय यू/एस। 36 अधिनियम से।

पी. राधा बाई बनाम में यह न्यायालय। पी अशोक कुमार, 1 4 14 ने अभिनिर्धारित किया कि:

" 32.5 . एक बार मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देने के लिए समय-सीमा या विस्तारित समय-सीमा समाप्त हो जाने के बाद, मध्यस्थता की धारा 36 के तहत निर्णय को लागू करने की अवधि समाप्त हो जाती है।

अधिनियम शुरू होता है। यह वाक्यांश से स्पष्ट है "जहां आवेदन करने का समय अलग रखने के लिए है

धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार की अवधि समाप्त हो गई है।

[" 36. प्रवर्तन। जहाँ मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन करने का समय

धारा 34 समाप्त हो गई है, या ऐसा आवेदन किया गया है, इसे अस्वीकार कर दिया गया है, पुरस्कार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत लागू किया जाएगा।

उसी तरह जैसे कि यह एक डिक्री थी अदालत "। (जोर दिया गया)] पुरस्कार को चुनौती देने के लिए धारा 34 (3) के तहत निर्धारित अवधि और धारा 36 के तहत प्रवर्तन अवधि की शुरुआत के बीच एक अभिन्न संबंध है।

पुरस्कार।

36.2 . दूसरा, सीमा अधिनियम की धारा 17 को धारा 34 तक बढ़ाने से मध्यस्थता अधिनियम की योजना के साथ हिंसा होगी। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, धारा 36 एक पक्ष को पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती है जब धारा 34 के तहत किसी पुरस्कार को चुनौती देने की अवधि समाप्त हो जाती है। हालाँकि, यदि धारा 17 को धारा 34 तक बढ़ाया जाना था, तो धारा 36 में "मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन करने के लिए समय" का निर्धारण किया गया था।

अनिश्चित हो जाएगा और भ्रम पैदा करेगा

पुरस्कार का प्रवर्तन। यह मध्यस्थता अधिनियम की योजना और उद्देश्य के विपरीत है।

सीसी 445।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(x) असहमत राय की प्रासंगिकता

(अ)

अल्पसंख्यक मध्यस्थ की असहमत राय पर भरोसा किया जा सकता है।

पार्टी द्वारा पुरस्कार को अलग रखने की मांग

धारा 34 के तहत कार्यवाही में इसकी प्रस्तुतियाँ।

धारा के तहत न्यायालय द्वारा न्यायिक जांच के चरण में

(ख)

34 , न्यायालय निष्कर्षों पर विचार करने से वंचित नहीं है

और अल्पसंख्यकों की असहमत राय के निष्कर्ष न्यायाधिकरण के सदस्य।

((ग)

'रसेल ऑन आर्बिट्रेशन' की टिप्पणी में, प्रासंगिकता एक असहमत राय की व्याख्या इस प्रकार की गई थी:

लेकिन मामले के बारे में अपने विचार निर्धारित कर सकता है, या तो इसके भीतर पुरस्कार दस्तावेज या एक अलग "असहमत राय" में।

मध्यस्थ को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या

अपनी असहमति व्यक्त करने का अच्छा कारण है, क्योंकि

असहमत राय एक चुनौती को प्रोत्साहित कर सकती है

पुरस्कार। यह केवल पक्षों की जानकारी के लिए है और करता है

घटना में प्रक्रियात्मक मामलों के संबंध में साक्षय एक चुनौती का या एक के तर्कों में वजन जोड़ सकता है

पुरस्कार के खिलाफ अपील करने की इच्छा रखने वाली पार्टी। 15

(जोर दिया गया)

(घ) गैरी बी. इंटरनेशनल पर अपनी टिप्पणी में जन्मे

वाणिज्यिक मध्यस्थता का मानना है कि:

" यहां तक कि राष्ट्रीय कानून में व्यक्त प्राधिकरण की अनुपस्थिति या

लागू संस्थागत नियम (या अन्यथा),

असहमति या अलग राय देना उचित है।

मध्यस्थ के न्यायनिर्णायक कार्य का सहवर्ती और एक तर्क बनाने के लिए न्यायाधिकरण का संबंधित दायित्व

या प्रथागत नहीं, इन घरेलू नियमों में बहुत कम है पार्टी-मनोनीत सह के संदर्भ में आवेदन

मध्यस्थ, और विविध न्यायाधिकरण। वास्तव में, एक का अधिकार

डी सेंट जॉन सटन, जूडिथ गिल और मैथ्यू गियरिंग क्यूसी, रसेल ऑन आर्बिट्रेशन,-(स्वीट एंड मैक्सवेल), पी। 313 .

केशिन हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। वी. एम/एसएंटी टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

एक असहमत राय देने के लिए मध्यस्थ उचित है

उसके निर्णय का एक तत्व माना जाता है

अधिदेश, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां एक तर्कपूर्ण पुरस्कार की आवश्यकता होती है। केवल एक स्पष्ट निषेध को स्पष्ट करने से ही असहमति रखने वाले पक्षों को राय बनाने और प्रकाशित करने से रोका जाना चाहिए, जो विचार-विमर्श प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और एक मूल्यवान चेक प्रदान कर सकता है।

मनमाने या अक्षम्य निर्णय लेने पर "। 16

आगे टिप्पणी की कि:

" एक मध्यस्थ द्वारा व्यवस्थित रूप से एक असहमत राय तैयार करने के बारे में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, और

इस बात पर जोर देते हुए कि इसे पक्षों को सूचित किया जाए। यदि कोई मध्यस्थ मानता है कि न्यायाधिकरण गंभीर रूप से गलत निर्णय ले रहा है, जिसका कानून और साक्षय रिकॉर्ड के साथ उचित रूप से मिलान नहीं किया जा सकता है, तो वह उस विचार को व्यक्त कर सकता है। न्यायिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इस तरह के पाठचक्रम के साथ कुछ भी गलत नहीं है-और इसके विपरीत, बहुत कुछ सही है-जिसमें न्यायाधिकरण का

निष्कर्ष को तर्कपूर्ण तरीके से व्यक्त किया जाता है। और, अगर

एक "व्यवस्थित" चर्चा की आवश्यकता होती है, जो पूरी तरह से उचित भी है; वास्तव में, यह निर्णयात्मक में निहित है। प्रक्रिया, और एक तर्कपूर्ण पुरस्कार की आवश्यकता "। 17

आगे यह देखा गया कि:

" ..... एक बहु द्वारा एक तर्कपूर्ण पुरस्कार की अवधारणा

सदस्य न्यायाधिकरण अलग-अलग कारणों के बयान की अनुमति देता है-यदि न्यायाधिकरण के अलग-अलग सदस्य वास्तव में अलग-अलग विचार रखते हैं। यह प्रक्रिया का एक आवश्यक पहलू है

जिसे दोनों पक्षों के पास प्रस्तुत करने का अवसर है

उनका मामला, और न्यायाधिकरण के कारणों को सुनें

निर्णय; असहमति को न सुनना दलों को वंचित करता है

इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई, 18 1 8 इस न्यायालय ने असहमति में लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा।

, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, वोल्टर्स क्लूवर, एड। 2009 , आयतन, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, वोल्टर्स क्लूवर, एड। 2009 , आयतन

एससीसी 131।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

राय कानून में सही स्थिति होनी चाहिए। इस मामले में, अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित एक आदेश से एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस न्यायालय ने नोट किया कि:

" 12. अपीलार्थी द्वारा दायर एक धारा 34 याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 9 तारीख के एक फैसले और आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

8-2016 [सांगयोंग एंग। और निर्माण कंपनी। लिमिटेड वी. एन. एच. ए. आई., 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4536], जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बहुमत मध्यस्थों द्वारा एक संभावित दृष्टिकोण लिया गया था, जिसमें मध्यस्थता पुरस्कारों को चुनौती देने के मापदंडों को देखते हुए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी निर्णय दिया कि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नई श्रृंखला को अपीलार्थी के मामले में लागू किया जा सकता है क्योंकि नई श्रृंखला के तहत 2004-2005 के लिए आधार सूचकांक उपलब्ध थे। ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि भले ही असहमत पुरस्कार में व्यक्त विचार अधिक है अपील करते हुए , और यह कि उन्होंने उस दृष्टिकोण को पसंद किया, फिर भी उन्होंने पाया कि चूंकि बहुमत पुरस्कार एक संभावित दृष्टिकोण है, इसलिए इसका दायरा

हस्तक्षेप सीमित होने के कारण, धारा 34 याचिका को खारिज कर दिया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ को एक धारा 37 की अपील ने 3-4-2017 [सांगयोंग एंग के विवादित फैसले द्वारा समान परिणाम दिया। और निर्माण कंपनी लिमिटेड बनाम। एनएचएआई, 2017 एससीसी ऑनलाइन

डेल 7864: (2017) 240 डीएलटी 711] "।

इस न्यायालय ने पुरस्कार को रद्द कर दिया। लेकिन, अनुच्छेद 77 में

निर्णय के बारे में न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 77. एकल न्यायाधीश के निर्णय [सांगयोंग] इंग. और निर्माण कंपनी लिमिटेड बनाम। एनएचएआई, 2016 एससीसी ऑनलाइन डेल 4536] और डिवीजन बेंच

[सांगयोंग एंग। और निर्माण कंपनी।

लिमिटेड वी. एनएचएआई, 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 7864: (2017) 240 दिल्ली उच्च न्यायालय के डी. एल. टी. 711] को खारिज कर दिया गया है।

नतीजतन, बहुमत पुरस्कार भी अलग रखा जाता है। के तहत

1996 के अधिनियम की धारा 34 की योजना के अनुसार, बहुमत निर्णय द्वारा तय किए गए विवादों को नए सिरे से किसी अन्य मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए।

यह शिन हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड होगा। वी. एम/एसएनटी टेक्नोलॉजीज पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

काफी देरी का कारण बनता है और 1996 के अधिनियम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक के विपरीत होता है, अर्थात्, मध्यस्थता प्रक्रिया द्वारा विवादों का त्वरित समाधान

भारत का संविधान, और इस तथ्य को देखते हुए कि एक अल्पमत पुरस्कार है जो अपीलार्थी को समझौते में उल्लिखित सूत्र के आधार पर अपने दावे का पुरस्कार देता है पार्टियों के बीच, हम अल्पसंख्यक पुरस्कार को बरकरार रखते हैं, और कहते हैं कि यह पुरस्कार, ब्याज के साथ, अब पार्टियों के बीच निष्पादित किया जाएगा। अल्पसंख्यक

पुरस्कार, पैरा 11 और 12 में निम्नानुसार कहा गया है:

" 11. इसलिए मैं दावेदार के दावे को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं।

12. लागत-पार्टियों को कोई राशि नहीं दी जाती है। प्रत्येक

पार्टी अपना खर्च खुद उठाएगी।

सांगयोंग में, इस न्यायालय ने पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए असंतुष्ट मध्यस्थ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा। दलों के बीच। ऐसा करने का कारण पैराग्राफ 77 में उल्लिखित है अर्थात काफी देरी जो एक और मध्यस्थता आयोजित होने पर होगी। इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों और शीघ्रता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सांगयोंग में अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग किया।

मध्यस्थता अधिनियम के तहत विवादों का समाधान।

कानून में, जहां न्यायालय न्यायाधिकरण के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा पारित निर्णय को रद्द कर देता है, अंतर्निहित विवादों को एक उचित कार्यवाही में नए सिरे से तय करने की आवश्यकता होगी।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत, न्यायालय कर सकता है या तो दायर आपत्तियों को खारिज कर दें, और पुरस्कार को बरकरार रखें, या यदि उप-धारा (2) और (2ए) में निहित आधार बनाए जाते हैं तो पुरस्कार को अलग कर दें। मध्यस्थता निर्णय को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है।

मैकडर्मोट इंटरनेशनल इंक. बनाम। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 52. 1996 का अधिनियम पर्यवेक्षी के लिए प्रावधान करता है।

न्यायालयों की भूमिका, केवल मध्यस्थता पुरस्कार की समीक्षा के लिए [2021] 1 एस. सी. आर.

निष्पक्षता सुनिश्चित करना। न्यायालय के हस्तक्षेप की परिकल्पना केवल कुछ परिस्थितियों में की जाती है, जैसे कि मध्यस्थों द्वारा धोखाधड़ी या पक्षपात के मामले में, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन आदि। न्यायालय मध्यस्थों की त्रुटियों को ठीक नहीं कर सकता है। यह केवल पक्षकारों को इच्छा होने पर फिर से मध्यस्थता शुरू करने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हुए निर्णय को रद्द कर सकता है। इसलिए, प्रावधान की योजना का उद्देश्य अदालत की पर्यवेक्षी भूमिका को न्यूनतम स्तर पर रखना है और इसे उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि समझौते के पक्षकार इसे बाहर करने के लिए एक सचेत निर्णय लेते हैं। मध्यस्थता का विकल्प चुनकर न्यायालय की अधिकारिता क्योंकि वे इसके द्वारा दी गई समीचीनता और अंतिमता को पसंद करते हैं।

27.04.2018 पर घोषित, पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति पार्टियों को केवल 19.05.2018 पर प्रदान की गई थी। न्यायाधिकरण के प्रक्रियात्मक आदेशों से पता चलता है कि 27.04.2018 पर, किसी भी गणना त्रुटि, किसी भी लिपिक या टंकण संबंधी त्रुटि, या इसी तरह की प्रकृति की किसी अन्य त्रुटि को इंगित करने के लिए पक्षकारों को पुरस्कार की केवल एक प्रति प्रदान की गई थी जो अगली तारीख को पुरस्कार में हुई हो सकती है। यह भी दर्ज किया गया था कि तीसरे मध्यस्थ ने असहमति जताई थी, और वह अपनी अलग राय देगा। द. इसके बाद 12.05.2018 के लिए कार्यवाही की गई।

12.05.2018 पर, तीसरे मध्यस्थ ने अपनी असहमति की घोषणा की

राय दें। उस तारीख को, न्यायाधिकरण ने मामले को 19.05.2018 पर पोस्ट किया, ताकि पक्षकार असहमति की राय में किसी भी टाइपोग्राफिक या लिपिकीय गलतियों को इंगित कर सकें, और कार्यवाही का मूल रिकॉर्ड पक्षों को सौंप सकें।

19.05.2018 पर, मूल रिकॉर्ड के साथ पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति और असहमत राय, पक्षों के साथ-साथ प्रत्येक मध्यस्थ को भी सौंपी गई थी। न्यायाधिकरण ने कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश दिया। 6. हमारी यह सुविचारित राय है कि आपत्तियाँ दायर करने के लिए सीमा की अवधि की गणना उस तारीख से की जानी चाहिए जिस दिन

पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति पक्षों को उपलब्ध कराई गई थी अर्थात तत्काल मामले में 19.05.2018 पर।

7. यह स्वीकृत स्थिति है कि आपत्तियां अधिनियम की धारा 34 (3) द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर दायर की गई थीं, यदि 19.05.2018 से गणना की जाती है। निर्विवाद रूप से, तत्काल मामले में, आपत्तियों में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड है।

वी. एम/एस नौसेना प्रौद्योगिकी पी. वी. टी. लिमिटेड। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

धारा 34 (3) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर हस्ताक्षरित पुरस्कार की प्राप्ति की तारीख से दायर किया गया है।

8. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अपील योग्य है।

सफल होने के लिए। जिला और सत्र न्यायाधीश हिसार, हरियाणा की अदालत के दिनांक 14.02.2019 के फैसले और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2019 द्वारा पारित विवादित आदेश को तदनुसार खारिज कर दिया गया है।

9. मध्यस्थता की धारा 34 के तहत दायर याचिका

सुलह अधिनियम, 1996 का अर्थ है आर्बि। पेट। 2018 की सं. 316 को जिला और सत्र न्यायाधीश, हिसार, हरियाणा के न्यायालय की फाइल में पुनर्स्थापित किया गया है।

कानून के अनुसार गुण-दोष पर निर्णय लिया गया।

सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है। तदनुसार आदेश दिया।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई